

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

श्री अजीयुध प्रसाद पट्ट परिवार	ब	प्रतिवादी
	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 222/2021  
 तारीख हुक्म नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

GCMS No. 2021/841

हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज

25/11/2021

वादी श्री अजीयुध पुत्र अजीयुध  
 जाति पट्ट निवासी परिवार द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत परिवार में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2073-2074 ग्राम परिवार पटवार मण्डल परिवार के खाता नम्बर 242 मे वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि अजीयुध प्रसाद अजीयुध दर्ज है, जो अशुद्ध है।

वादी का शुद्ध नाम अजीयुध प्रसाद अजीयुध है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 5438 7309 2463 मतदाता पहचान पत्र 452/175308 अन्य दस्तावेज - की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी परिवार भू.अ.नि. एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
 कुचामन सिटी ( नागौर )



222 571